न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी. पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 363/2022
दायर दिनांक :– 05.05.2022

अनवान

छोटी देवी पत्नि माधू रेगर नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर

अप्रार्थी.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री ताराचन्द रेगर, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 24.06.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम पीपलून्द, पटवार हल्का पीपलून्द, भू अभिलेख निरक्षक क्षेत्र पीपलून्द, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आराजी खसरा संख्या 2281/6 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज है। प्रार्थीया कब्जे काश्त करती चली आ रहीं है। ग्राम पीपलून्द, पटवार हल्का पीपलून्द, भू अभिलेख निरक्षक पीपलून्द, तहसील जहाजपुर आराजी संख्या 2281/6 रकबा 0.6475 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में जाने का रास्ता मुख्य सड़क से सरकारी बिलानाम भूमि आराजी खसरा संख्या 3048/2281, 3044/2276 में से होकर जाता है, प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि जिन खातेदारों से क्रय की थी व खातेदार व उनके पूर्वज भी मुख्य सड़क से सरकारी बिलानाम भूमि आराजी खसरा संख्या 3048/2281 व 3044/2276 में से होकर चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में आते जाते थे। ग्राम पीपलून्द, पटवार हल्का पीपलून्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपलून्द की आराजी संख्या 3048/2281, 3044/2276 राजस्व रिकार्ड में बिलानाम भूमि दर्ज है, जिसमें से होकर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में आती जाती है जो की प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शा रखा ए से बी बिन्दू है। उक्त रास्ता करीब 51 वर्ष से अधिक पुराना है, जिस पर होकर क्रेता प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर अबाध्य रूप से लगातार आती जाती रहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में आने–जाने का एक मात्र रास्ता सरकारी बिलानाम भूमि आराजी संख्या 3048/2281, 3044/2276 में से होकर जाता है। उक्त रास्ता सरकारी बिलानाम भूमि में होने के कारण व राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अन्य खातेदार सरकारी बिलानाम भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीया के एक मात्र

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

आने जाने के रास्ते को रोक देते है। रास्ते को बन्द करने से मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है, उक्त रास्ता सरकारी बिलानाम भूमि में होने के कारण व राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही व नीली स्याही से दर्शा रखा है, जो ए से बी बिन्दु है जो प्रार्थना पत्र का भाग है, 20 फीट चौड़ा रास्ता से कृषि कार्य करने के यन्त्र जो ट्रेक्टर द्वारा हकाई बुवाई व फसल को लाते ले जाते रहें है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. टी. एक्ट का एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया जिसमें की प्रार्थीया अनपढ़ होने से आराजी संख्या 2281/6 में जाने के लिए कौन–कौन की आराजी प्रभावित हो रहीं है, सही रूप से बता नहीं सकी जिससे की सही तरीके से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी में आने–जाने के लिए न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके दर्ज रजिस्टर नम्बर 369/21 रा. प्रा. पत्र है। अनवान छोटी देवी रेगर पत्नी माधू रेगर बनाम श्रीमान् तहसीलदार साहब जहाजपुर अन्तर्गत धारा – 251 (क) राज. टी. एक्ट का विचारण होकर न्यायालय श्रीमान् ने दिनांक 22.09.2021 को आराजी संख्या 2281/6 में आने–जाने के रास्ते को 20 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में नक्शा सीट में दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में दर्ज रास्ता जो नीली स्याही से दर्ज है, उसका ही आदेश हुआ है, और प्रार्थीया ने भी आदेश अनुसार ही प्रार्थीया ने राजकोष में 27200– रूपये सताईस हजार दो सो रूपये जमा करवा दिये हैं। परन्तु प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी में आने जाने के लिए रास्ता अधूरा रह गया जिसकी प्रार्थीया को आवश्यकता है। जिसे प्रार्थीया पूर्णरूप से दर्ज करवाना चाहती है। जिसे सही तरीके से दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु सरकारी बिलानाम भूमि आराजी खसरा नम्बर 3048/2281, 3044/2276 में से 20 फीट चौड़ा रास्ते की जमीन सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड व नक्शा सीट में अभिलिखित कराना चाहती है, न्यायालय श्रीमान् ने पूर्व में दिये गये आदेश के अनुसार प्रार्थीया ने जो 27,200– रूपये सताईस हजार दो सो रूपये राजकोष में जमा करवाये है, उनको समायोजित करते हुए शेष राशि जो होगी उसको प्रार्थीया नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के लिए तैयार है, इसलिए प्रार्थीया द्वारा जमा कराये गये 27,200– रूपये अक्षरे सताईस हजार दो सो रूपये समायोजित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। न्यायालय श्रीमान् ने प्र. सं. 369/21 अनवान छोटी देवी रेगर बनाम तहसीलदार जहाजपुर पर दिये गये आदेश व आदेश की पालना तहरीर प्रार्थीया द्वारा राजकोष में जमा करायेग गये 27,200– रूपये अक्षरे सताईस हजार दो सो रूपये की रसीद

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी में आने–जाने का रास्ते को आये दिन रोक लेने की धमकी देने से तथा सरकारी बिलानाम भूमि आराजी खसरा नम्बर 3048/2281, 3044/2276 पर अन्य भूमि के खातेदारों द्वारा जबरन कब्जा करने की बार–बार धमकी देने से प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि आराजीयात खसरा संख्या 2281/6 में आने–जाने व ट्रेक्टर कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए सरकारी बिलानाम भूमि आराजी संख्या 3048/2281, 3044/2276 में से जो 20 फीट चौड़ा रास्ता जो मुख्य सड़क से जो नजरी नक्शे में दर्शा रखा जो ए से बी बिन्दु है, उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित किये जाने का आदेश तहसीलदार जहाजपुर को आदेश प्रदान करावें व उक्त रास्ते की भूमि का जो भी प्रतिफल बनता है, उस राशि में से पूर्व में जमा कराई गई राशि 27,200– रूपये को समायोजित करते हुए प्रार्थीया शेष राशि न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार राजकोष में जमा कराने के लिए भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 2281/6 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 20.03.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 3044/2276 में से रास्ता देने पर 0.0162 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 2281/6 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 2281/6 में आने जाने हेतु ख. न. 3044/2276 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 2281/6 में आने जाने हेतु कोई

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। एवं प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं. 3044/2276 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 2281/6 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2281/6 में आने जाने के लिये आ. न. 3044/2276 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 3044/2276 में से रास्ता देने पर कुल 0.0162 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 3044/2276 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0162 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 5,997 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/24/मु.न. 363/2022

दिनांक 24.06.2024

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 363/22 अनवान छोटी देवी पत्नि माधू रेगर नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर बनाम तहसीलदार जहाजपुर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2281/6 में आने जाने के लिये आ. न. 3044/2276 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 3044/2276 में से रास्ता देने पर कुल 0.0162 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 3044/2276 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0162 हैक्टेयर की एवज में सी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 5,997 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner